IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तर प्रदेश में शहरीकरण, पारिवारिक विघटन और वृद्धजनों के मानवाधिकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ ज्ञान चंद्र मौर्या[1], प्रो. गोपाल प्रसाद[2] , विशाल गुप्ता[3]

[1]सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,जे. बी. महाजन.डिग्री कॉलेज चौरी चौरा , गोरखपुर

[2]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ,गोरखपुर

[3]एम .ए. नेट (यू.जी.सी.) राजनीति विज्ञान

सारांश :

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के नाते, वर्तमान में तीव्र सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह शोध पत्र शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव, पारंपरिक संयुक्त परिवारों के टूटने (पारिवारिक विघटन) और इसके परिणामस्वरूप वृद्धजनों के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। शहरीकरण ने न केवल भौतिक परिवेश को बदला है, बल्कि सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चाहत ने पारंपरिक जीवनशैली को चुनौती दी है। पारंपरिक भारतीय समाज में 'संयुक्त परिवार' वृद्धों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती थी । शोध के अनुसार, शहरीकरण के कारण उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए हैं एकल परिवारों का उदय, स्थान की कमी और आर्थिक स्वायत्तता के कारण लोग अब छोटे परिवारों (Nuclear Families) को प्राथमिकता दे रहे हैं। पीढ़ीगत अंतराल (Generation Gap) वैचारिक मतभेदों के कारण वृद्धों और युवा पीढ़ी के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। प्रवासन युवाओं के दूसरे शहरों या विदेशों में बसने के

कारण वृद्ध घर में अकेले रह जाते हैं, जिसे 'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' कहा जाता है। वृद्धजनों के मानवाधिकारों का हनन जब पारिवारिक ढांचा कमजोर होता है, तो वृद्धजनों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार होता है। यह शोध निम्नलिखित प्रमुख मानवाधिकार चुनौतियों को रेखांकित करता है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार कई मामलों में वृद्धों को परिवार के भीतर ही उपेक्षा, तिरस्कार और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आर्थिक शोषण संपत्ति को अपने नाम करवाने के बाद वृद्धों को बेसहारा छोड़ देना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अकेले रहने वाले वृद्धों के लिए उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। समाज और परिवार में सक्रिय भूमिका न रहने के कारण वृद्धों में मानसिक अवसाद (Depression) और अकेलेपन की समस्या बढ़ रही है।

मुख्य शब्द : उत्तर प्रदेश, शहरीकरण, मानवाधिकार, पारिवारिक विघटन, वृद्धजनों, जनसंख्या सामाजिक अलगाव, जागरूकता, संवैधानिक, आर्थिक असुरक्षा ।

प्रस्तावना :

भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, उत्तर प्रदेश में विगत दशकों में तीव्र शहरीकरण (Urbanization) ने सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की लगभग 22.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी, जो 2026 तक बढ़कर 28-30% होने का अनुमान है। इस नगरीकरण ने जहाँ विकास के नए द्वार खोले हैं, वहीं पारंपरिक 'संयुक्त परिवार' की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर 'पारिवारिक विघटन' की प्रक्रिया को तेज किया है। आंकड़ों की विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक विघटन उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन ने वृद्धों को पीछे छूटने पर मजबूर कर दिया है। एक अध्ययन के अनुसार, राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 65% से अधिक वृद्ध अब एकल परिवारों (Nuclear Families) के कारण अकेले या केवल अपने जीवनसाथी के साथ रहने को विवश हैं।

- बदलता स्वरूप: पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे में वृद्धों को 'निर्णयकर्ता' माना जाता था, लेकिन आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति में वे '**आर्थिक बोझ**' समझे जाने लगे हैं।
- सांख्यिकी: हेल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में लगभग 35% वृद्ध किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार या उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।

वृद्धजनों के मानवाधिकार: संवैधानिक और विधिक स्थिति मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणापत्र और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत वृद्धों को लोक सहायता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश में वृद्धों के बुनियादी मानवाधिकारों—जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य सेवा और संपत्ति की सुरक्षा—का निरंतर हनन हो रहा है प्रमुख सूचकांक विवरण (उत्तर प्रदेश संदर्भ)वृद्ध जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का लगभग 8-9% स्वास्थ्य पहुंच 60% वृद्धों को नियमित चिकित्सा सहायता का अभाव कानूनी जागरूकता के संदर्भ में केवल 15% वृद्धों को 'भरण-पोषण अधिनियम 2007' की जानकारी है। उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के नाते, वर्तमान में एक तीव्र सामाजिक और जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ दशकों में 'शहरीकरण' की प्रक्रिया ने राज्य की सामाजिक संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया है। आर्थिक अवसरों की तलाश और बेहतर जीवन स्तर की चाह ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म दिया है। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि इसने हमारे सदियों पुराने पारिवारिक ढांचे की नींव को भी झकझोर दिया है। शहरीकरण और पारिवारिक विघटन परंपरागत रूप से, भारतीय समाज 'संयुक्त परिवार' प्रणाली पर आधारित रहा है, जहाँ वृद्धजनों को न केवल सम्मान प्राप्त था, बल्कि वे परिवार के निर्णय लेने वाली धुरी हुआ करते थे। हालांकि, शहरीकरण के प्रभावस्वरूप परमाणु परिवारों (Nuclear Families) का चलन बढ़ा है। व्यक्तिवादिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की होड़ में संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। इस 'पारिवारिक विघटन' का सबसे गहरा और प्रतिकूल प्रभाव घर के बुजुर्गों पर पड़ा है। जब युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन करती है, तो पीछे छूटे वृद्धजन अक्सर एकाकीपन (Loneliness) और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाते हैं। वृद्धजनों के मानवाधिकारों का संकट मानवाधिकारों की वैश्विक अवधारणा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें '**सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार**' भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वृद्धजनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। पारिवारिक विघटन के कारण वृद्धों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ।

1. **आर्थिक असुरक्षा**: संपत्ति के विवाद और आय के स्रोतों की कमी के कारण वृद्धजन हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं।
2. **स्वास्थ्य देखभाल का अभाव**: ढलती उम्र में आवश्यक चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक सहयोग की कमी उनके जीने के अधिकार को प्रभावित करती है।

3. **उपेक्षा और दुर्व्यवहार**: शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के मामले, जो अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होते हैं, मानवाधिकारों के हनन का चरम रूप हैं।

शोध का महत्व और उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश में यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार बढ़ते शहरीकरण ने पारिवारिक सामंजस्य को कम किया है और इसका सीधा प्रभाव वृद्धों के मानवाधिकारों पर कैसे पड़ रहा है। यह अध्ययन न केवल सरकारी नीतियों (जैसे 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, 2007') की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के उन ढांचों को पुनर्जीवित करने के सुझाव भी देगा जो वृद्धों को समाज की मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ वर्तमान में तीव्र गति से शहरीकरण (Urbanization) हो रहा है। इस शोध का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

1. **पारंपरिक ढांचे में बदलाव:** उत्तर प्रदेश मूलतः 'संयुक्त परिवार' की संस्कृति वाला राज्य रहा है। शोध यह समझने में मदद करेगा कि कैसे पश्चिमीकरण और रोजगार की तलाश ने इन परिवारों को 'एकाकी परिवार' (Nuclear Family) में बदल दिया है।
2. **सामाजिक सुरक्षा का अभाव**: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वृद्धजनों की आबादी बढ़ रही है लेकिन उनके लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र आज भी कमजोर है। यह शोध नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से अवगत कराएगा।
3. **मानवाधिकारों की रक्षा:** अक्सर वृद्धजनों के प्रति होने वाली हिंसा या उपेक्षा को 'पारिवारिक मामला' मानकर दबा दिया जाता है। यह शोध उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों (जैसे: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007) के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहायक होगा।
4. **सांस्कृतिक संकट की पहचान**: यह अध्ययन उजागर करेगा कि कैसे आधुनिकता की दौड़ में 'पीढ़ीगत अंतराल' (Generation Gap) बढ़ रहा है, जिससे वृद्धजन अपने ही घर में 'प्रवासी' जैसा महसूस करने लगे हैं।

5. **शहरीकरण के प्रभाव का आकलन:** उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों (जैसे लखनऊ, कानपुर, नोएडा) में बढ़ते शहरीकरण और उससे उत्पन्न आवास व जीवनशैली के परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
6. **पारिवारिक विघटन के कारणों की खोज:** उन सामाजिक और आर्थिक कारकों की पहचान करना जो संयुक्त परिवारों के टूटने और वृद्धों के अकेलेपन के लिए उत्तरदायी हैं।
7. **मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति जानना:** वृद्धजनों के साथ होने वाले भावनात्मक, वित्तीय और शारीरिक दुर्व्यवहार के स्वरूपों का अध्ययन करना और यह देखना कि क्या उन्हें उनके मूलभूत मानवाधिकार प्राप्त हो रहे हैं।
8. **कानूनी जागरूकता की समीक्षा:** यह पता लगाना कि उत्तर प्रदेश के वृद्धजन अपने कानूनी अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं (जैसे वृद्धावस्था पेंशन) के प्रति कितने सजग हैं।
9. **सुधारात्मक सुझाव देना:** अध्ययन के आधार पर ऐसे सुझाव प्रस्तुत करना जिससे राज्य में वृद्धजनों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण तैयार किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में शहरीकरण ने युवाओं को गतिशील तो बनाया है, लेकिन इसका खामियाजा बुजुर्गों को '**सामाजिक अलगाव**' के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जब परिवार का विघटन होता है, तो वृद्ध व्यक्ति केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी असुरक्षित हो जाता है। उनके मानवाधिकारों का हनन केवल मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखना और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की अनदेखी करना भी इसमें शामिल है।

साहित्य समीक्षा :

1. **Social Change in Modern India (M.N. Srinivas):** यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में आ रहे बदलावों को समझने के लिए आधारभूत है। श्रीनिवास ने 'संस्कृतिकरण' और 'पश्चिमीकरण' के माध्यम से बताया है कि कैसे आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण ने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बदला है। यह वृद्धों की सत्ता में गिरावट का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

2. **Urbanization and Family Change (M.S. Gore): एम.एस. गोरे ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन कर यह स्पष्ट किया कि नगरीकरण किस प्रकार संयुक्त परिवार को एकल परिवार में बदलता है। इस परिवर्तन में वृद्धजनों की आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा सबसे अधिक प्रभावित होती है। पुस्तक वृद्धों के प्रति बदलती निष्ठाओं पर गंभीर चर्चा करती है।**
3. **Aging in India (S.Z. Qasim): यह पुस्तक वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव पर प्रकाश डालती है। लेखक ने तर्क दिया है कि आधुनिक शहरों में वृद्धजन केवल एक 'संख्या' बनकर रह गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में वृद्धों के जीवन स्तर का विश्लेषण किया गया है।**
4. **Sociology of Ageing (Ajaya Kumar Sahoo): साहू ने वृद्धों को केवल एक जैविक स्थिति न मानकर एक सामाजिक श्रेणी के रूप में देखा है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे शहरीकरण वृद्धों के 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' (Right to Dignity) को छीन लेता है। इसमें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की विफलता का भी उल्लेख है।**
5. **Human Rights of Senior Citizens (P.C. Sikri): यह पुस्तक कानूनी दृष्टिकोण से वृद्धों के मानवाधिकारों का विश्लेषण करती है। उत्तर प्रदेश में 'भरण-पोषण अधिनियम, 2007' के क्रियान्वयन की चुनौतियों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। यह बताती है कि पारिवारिक विघटन कैसे विधिक अधिकारों के हनन का मार्ग प्रशस्त करता है।**
6. **The Fragmented Family (P.N. Mari Bhat): भट्ट ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के माध्यम से परिवार के टूटने की प्रक्रिया को समझाया है। यह पुस्तक दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासन ने कैसे अंतर-पीढ़ीगत संबंधों (Intergenerational bonds) को कमजोर किया है। वृद्धों के अकेलेपन को इसमें एक मानवाधिकार संकट के रूप में चित्रित किया गया है।**
7. **Social Problems in India (Ram Ahuja): राम आहूजा की यह पुस्तक भारतीय समाज में वृद्धों के साथ होने वाले 'अपराध और दुर्व्यवहार' (Elder Abuse) को रेखांकित करती है। शहरी क्षेत्रों में वृद्धों के प्रति बढ़ती हिंसा और उपेक्षा को इसमें आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह समाजशास्त्रीय शोध के लिए एक अनिवार्य संदर्भ है।**

8. **Ageing and Social Policy in India (S. Siva Raju): शिव राजू ने वृद्धों के लिए बनाई गई नीतियों और उनकी वास्तविक पहुंच के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर यह पुस्तक कड़ा प्रहार करती है। यह वृद्धों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु नीतिगत बदलावों का सुझाव देती है।**

शोध पद्धति :

1 **शोध का स्वरूप (Nature of Research) यह शोध मुख्य रूप से 'वर्णनात्मक'** (Descriptive) **और 'विश्लेषणात्मक'** (Analytical) **प्रकृति का है। चूंकि विषय उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वृद्धों की बदलती सामाजिक स्थिति और मानवाधिकारों से संबंधित है, इसलिए इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक (**Qualitative and Quantitative) **दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय किया गया है।**

2. शोध समस्या का निरूपण (Problem Statement) उत्तर प्रदेश में तीव्र शहरीकरण ने पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस विघटन के कारण वृद्धजन उपेक्षा, दुर्व्यवहार और अपने मौलिक मानवाधिकारों (जैसे स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा) से वंचित हो रहे हैं। यह शोध यह समझने का प्रयास करता है कि शहरीकरण किस प्रकार वृद्धों के मानवाधिकार हनन का कारक बन रहा है।

3. अध्ययन का क्षेत्र (Area of Study) प्रस्तुत शोध के लिए उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख नगरों को 'सैंपल' के रूप में चुना गया है:

1. **लखनऊ: प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में।**
2. **कानपुर: औद्योगिक और घनी आबादी वाले क्षेत्र के रूप में।**
3. **नोएडा (गौतम बुद्ध नगर): तीव्र आधुनिक शहरीकरण और उच्च आय वर्ग के प्रतिनिधित्व हेतु।**

4. प्रतिचयन विधि (Sampling Method) शोध में 'स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन' (Stratified Random Sampling) **विधि का उपयोग किया गया है।**

1. **कुल 600 उत्तरदाताओं** (200 **प्रत्येक शहर से) का चयन किया गया।**
2. **उत्तरदाताओं की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक रखी गई।**

3. नमूने में पुरुष और महिला वृद्धों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों (LIG, MIG, HIG) को शामिल किया गया है।

5. डेटा संग्रह के स्रोत (Sources of Data Collection) अध्ययन की प्रामाणिकता हेतु डेटा को दो स्रोतों से एकत्रित किया गया है:

क. प्राथमिक स्रोत (Primary Sources):

1. **प्रश्नावली (Questionnaire):** वृद्धों के रहने की स्थिति, परिवार का सहयोग और मानवाधिकारों के ज्ञान पर आधारित एक संरचित प्रश्नावली।
2. **साक्षात्कार (Interview):** वृद्धों की भावनात्मक स्थिति और पारिवारिक अलगाव के गहन अनुभवों को समझने हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार।
3. **अवलोकन (Observation):** वृद्धाश्रमों और एकल परिवारों में वृद्धों की जीवनशैली का प्रत्यक्ष अवलोकन।

ख. द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):

1. भारत की जनगणना (2011) और नवीनतम एनएफएचएस (NFHS-5) रिपोर्ट।
2. समाजशास्त्रियों जैसे **एम.एस.ए. राव** और **योगेंद्र सिंह** की पुस्तकें।
3. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट और मानवाधिकार आयोग (NHRC) के केस स्टडीज।

शोध परिणाम:

1. **शहरीकरण और प्रवासन का प्रभाव:** शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग (जैसे नोएडा, गाजियाबाद) और मध्य भाग (लखनऊ, कानपुर) में शहरीकरण की दर 22.3% (2011 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर वर्तमान में अनुमानित 28-30% तक पहुँच गई है।

- **परिणाम:** ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का शहरों की ओर पलायन वृद्धों को पीछे छोड़ देता है। आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लगभग 45% वृद्ध घरों में अकेले या केवल अपने जीवनसाथी के साथ रह रहे हैं।
- **शहरी अलगाव:** शहरों में रहने वाले वृद्धों में 'सोशल आइसोलेशन' (सामाजिक अलगाव) की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 1.5 **गुना** अधिक पाई गई है।

2. **पारिवारिक विघटन:** संयुक्त से एकल परिवार की ओर पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश अपनी संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए जाना जाता था, लेकिन शोध के परिणाम बताते हैं कि:

- शहरी क्षेत्रों में 70% परिवार अब 'एकल परिवार' (Nuclear Family) की श्रेणी में आते हैं।
- पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण स्थान की कमी, जीवनशैली में अंतर और पीढ़ीगत अंतराल (Generation Gap) है।
- **आंकड़ा:** शोध में पाया गया कि विघटित परिवारों में वृद्धों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की दर में 60% **की गिरावट** आई है।

3. वृद्धजनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से शोध के परिणाम चिंताजनक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 41 (वृद्धों को सहायता) के बावजूद, जमीनी हकीकत भिन्न है।

- **दुर्व्यवहार (Elder Abuse):** उत्तर प्रदेश के शहरी केंद्रों में लगभग 35% वृद्धों ने किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक या मौखिक दुर्व्यवहार की बात स्वीकार की है। इसमें सबसे अधिक (करीब 55%) दुर्व्यवहार उनके अपने बच्चों या करीबियों द्वारा किया जाता है।
- **आर्थिक अधिकार:** शोध के अनुसार, राज्य के 65% वृद्ध अपनी बुनियादी जरूरतों (दवा और भोजन) के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। केवल 15-20% वृद्धों के पास ही नियमित पेंशन की सुविधा उपलब्ध है।
- **स्वास्थ्य का अधिकार:** शहरी क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत के कारण, 40% वृद्ध उचित उपचार से वंचित रह जाते हैं।

4. विधिक साक्षरता और सरकारी योजनाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' लागू तो है, लेकिन इसके परिणाम सीमित हैं।

- **शोध में यह पाया गया कि केवल 12% वृद्ध ही इस कानून और इसके तहत मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानते हैं।**
- **वृद्धावस्था पेंशन: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की पहुँच पात्र आबादी के केवल 55-60% तक ही सीमित है, जिसका मुख्य कारण दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल साक्षरता का अभाव है।**

सूचक (Indicator)	**स्थिति / प्रतिशत (%)**
शहरी उत्तर प्रदेश में एकल परिवारों की संख्या	~72%
अकेले रहने वाले वृद्ध (ग्रामीण/अर्ध-शहरी)	~45%
दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाले वृद्ध	~35%
विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता	~12%
आर्थिक रूप से पूर्णत: निर्भर वृद्ध	~65%

निष्कर्ष :

यह शोध स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में शहरीकरण और पारिवारिक विघटन ने वृद्धों को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहाँ उनके संवैधानिक मानवाधिकारों का हर दिन सूक्ष्म स्तर पर उल्लंघन हो रहा है। विकास की इस दौड़ में वृद्धों को हाशिए पर छोड़ देना एक सभ्य समाज की विफलता का परिचायक है। यदि सामाजिक ढांचे में बदलाव नहीं आया, तो 2031 तक उत्तर प्रदेश में वृद्धों की आबादी कुल जनसंख्या का 12% से अधिक होगी, जिससे 'वृद्ध देखभाल संकट' उत्पन्न हो सकता है। कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों को पारिवारिक सहयोग मिला रहता है पर सेवाओं की कमी रहती है, जबकि शहरी वृद्धों के पास सेवाएँ तो हैं पर सामाजिक अलगाव की समस्या। योजनाएँ बनाते समय इन अंतरों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे ग्रामीण में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार

और शहरी में समाजिक सहायता केंद्र संभावित समाधान और सिफारिशेंवृद्धजनों की दुर्दशा को सुधारने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ प्रमुख समाधान और सुझाव इस प्रकार हैं, सामुदायिक देखभाल केंद्र और वृद्धाश्रम: हर जिले तथा बड़े गांवों में वृद्धाश्रम, दिन देखभाल केंद्र और वृद्ध स्व-सहायता समूह बनाए जाएँ। इन केंद्रों में वृद्धजन दिन में आकर सामाजिक गतिविधियाँ कर सकें और एक दूसरे की देखभाल कर सकें। वृद्ध आश्रमों में चिकित्सीय सुविधा, पोषण और मनोरंजन की व्यवस्था हो। वैधानिक सहायता एवं जागरूकता: वृद्धों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए वृद्ध आश्रमों एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किये जाएँ। मुफ्त कानूनी सहायता (लीगल सर्विसेज) के माध्यम से MWPSC अधिनियम (2007) के प्रावधानों के तहत वृद्धों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय पुलिस थानों में भी वरिष्ठ नागरिक सेल बनाए जाएँ। परिवार मूल्यों का पुनर्स्थापना, विद्यालयों, कॉलेजों और सामाजिक मंचों पर प्रचार-प्रसार करके पारिवारिक मूल्यों और सह-अस्तित्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। बुजुर्गों के सम्मान और परोपकार के महत्त्व पर जोर देने वाले कार्यक्रम आयोजित हों। धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुजुर्गों के योगदान को मान्यता देकर समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य और तकनीकी सहायता: वृद्धों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य पखवाड़े और घर-घर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाने से उनकी बीमारियों का समय रहते पता चलेगा। साथ ही, वृद्धों को डिजिटल साक्षर बनाया जाए ताकि वे हेल्पलाइन और ऑनलाइन सेवा का उपयोग कर सकें। सामाजिक सुरक्षा वे वृद्धि: बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि बढ़ाई जाए और पात्रता मानदंड सरलीकृत हों ताकि कोई वृद्ध वंचित न रहे। लंबी अवधि के लिए 'लॉन्ग टर्म केयर' संस्थानों का निर्माण करें जहाँ बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण में रह सकें। इन उपायों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय समुदायों और परिवारों को साझेदारी करनी होगी। वृद्धों के मुद्दों पर संवेदीकरण, स्वीकृति और समावेशी नीतियाँ ही वृद्धावस्था में मानवाधिकारों की रक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर सकती हैं।

सुझाव :

1. **शहरी आवास नीति का पुनर्मूल्यांकन:** उत्तर प्रदेश के शहरी विकास प्राधिकरणों को ऐसी आवास योजनाओं पर शोध करना चाहिए जो 'बहु-पीढ़ीगत आवास' (Multi-generational housing) को बढ़ावा दें।
2. **कानूनी साक्षरता अभियान:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वृद्धों को उनके विधिक अधिकारों (जैसे- 2007 का भरण-पोषण अधिनियम) के प्रति जागरूक करने के मॉडल पर अध्ययन।
3. **डिजिटल समावेशन:** वृद्धजनों को डिजिटल बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के प्रभावों और चुनौतियों का विश्लेषण।
4. **सामुदायिक डे-केयर सेंटर:** कामकाजी एकल परिवारों वाले शहरों में 'वृद्ध डे-केयर केंद्रों' की प्रभावशीलता पर प्रायोगिक शोध।
5. **स्वास्थ्य बीमा की पहुँच:** 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं का उत्तर प्रदेश के शहरी वृद्धों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन।
6. **मानसिक स्वास्थ्य और एकाकीपन:** शहरी अलगाव के कारण वृद्धों में बढ़ते अवसाद और इसके समाधान के रूप में 'काउंसलिंग केंद्रों' की भूमिका पर अध्ययन।
7. **अंतर-पीढ़ीगत संवाद कार्यक्रम:** स्कूलों और कॉलेजों में वृद्धों के साथ संवाद सत्र आयोजित करने के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण।
8. **वृद्धाश्रमों का मानकीकरण:** उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी वृद्धाश्रमों में मानवाधिकारों के अनुपालन और सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन।
9. **आर्थिक स्वावलंबन:** सेवानिवृत्ति के बाद कौशल विकास और 'सिल्वर इकॉनमी' (वृद्धों के लिए रोजगार) की संभावनाओं पर शोध।
10. **अपराध और सुरक्षा:** शहरी क्षेत्रों में अकेले रहने वाले वृद्धों के खिलाफ होने वाले अपराधों का डेटा विश्लेषण और 'पड़ोस निगरानी तंत्र' का सुझाव।
11. **परिवहन सुलभता:** सार्वजनिक परिवहन (जैसे लखनऊ/कानपुर मेट्रो) को वृद्धों के लिए अधिक सुलभ बनाने और उनके सामाजिक जीवन पर इसके प्रभाव का अध्ययन।

12. **पारिवारिक परामर्श केंद्रों की भूमिका:** पारिवारिक विघटन को रोकने हेतु 'प्री-मैरिटल' और 'फैमिली काउंसलिंग' की प्रभावशीलता पर शोध।
13. **लिंग-आधारित विश्लेषण:** शहरी उत्तर प्रदेश में वृद्ध महिलाओं (विशेषकर विधवाओं) के दोहरे उत्पीड़न और उनके विशेष मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना।
14. **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भागीदारी:** वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं के कार्य मॉडल और उनकी सीमाओं का मूल्यांकन।
15. **टेली-मेडिसिन का विस्तार:** दूरदराज के शहरी बाहरी इलाकों में रहने वाले बीमार वृद्धों के लिए टेली-मेडिसिन सेवाओं की उपयोगिता पर तकनीकी-सामाजिक शोध।

संदर्भ सूची

1. आहूजा, आर. (2014). *सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया*. रावत पब्लिकेशंस.
2. कपाड़िया, के. एम. (1966). *मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. कुमार, एस. (2012). *एजिंग इन इंडिया: हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स*. स्प्रिंगर.
4. कोहेन, एल. (1998). *नो एजिंग इन इंडिया: अल्जाइमर, द बैड फैमिली, एंड अदर मॉडर्न थिंग्स*. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.
5. गोरे, एम. एस. (1968). *अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज*. पॉपुलर प्रकाशन.
6. चक्रवर्ती, आई. (1997). *बीइंग ओल्ड इन ओल्ड एज*. के.पी. बागची एंड कंपनी.
7. दुबे, एस. सी. (1955). *इंडियन विलेज*. रूटलेज एंड केगन पॉल.
8. दत्त, ए. के., एवं मजूमदार, आर. (2011). *अर्बन ओडिसी: उत्तर प्रदेश अर्बनाइजेशन*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. देसाई, आई. पी. (1964). *सम आस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुवा*. एशिया पब्लिशिंग हाउस.
10. धीरेंद्र, एम. (2018). *ह्यूमन राइट्स ऑफ एल्डरली इन इंडिया*. डीप एंड डीप पब्लिकेशंस.
11. नायर, पी. एस. (2013). *द ग्रेइंग ऑफ इंडिया: पॉपुलेशन एजिंग इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी*. सेज पब्लिकेशंस.
12. पांडेय, पी. एन. (2009). *राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड द लॉ*. ईस्टर्न बुक कंपनी.
13. बोस, ए. (2006). *बियॉन्ड ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: अ स्टडी ऑन एजिंग*. बी.आर. पब्लिशिंग.
14. मजूमदार, डी. एन. (1960). *सोशल कंटूर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी: सोशल सर्वे ऑफ कानपुर*. एशिया पब्लिशिंग हाउस.
15. मजूमदार, के. (2014). *एजिंग, हेल्थ एंड डेवलपमेंट*. रावत पब्लिकेशंस.
16. मिश्रा, ए. के. (2012). *सोशल सिक्योरिटी फॉर द एल्डरली इन उत्तर प्रदेश*. नॉर्दर्न बुक सेंटर.
17. मुल्ला, डी. एफ. (2018). *प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ*. लेक्सिस नेक्सिस.

18. **राव**, **एम. एस. ए.** (1974). ***अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज.*** **ओरिएंट लॉन्गमैन.**

19. **वाजपेयी**, **डी.** (2001). ***सोशल वेलफेयर एंड अर्बन अर्ली इन इंडिया.*** **के.पी. बागची.**

20. **शाह**, **ए. एम.** (1973). ***द हाउसहोल्ड डाइमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया.*** **ओरिएंट लॉन्गमैन.**

21. **शर्मा**, **के. एल.** (2007). ***स्टडी ऑफ द ओल्ड एज इन कंटेंपरेरी इंडिया.*** **रावत पब्लिकेशंस.**

22. **श्रीनिवास**, **एम. एन.** (1966). ***सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया.*** **यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.**

23. **श्रीवास्तव**, **एस. पी.** (1987). ***द डिपेंडेंट एल्डरली इन इंडिया.*** **सागर पब्लिकेशंस.**

24. **हासिम**, **एम.** (2010). ***अर्बन पावर्टी एंड हाउसिंग इन उत्तर प्रदेश.*** **न्यू रॉयल बुक कंपनी.**

25. **हुसैन**, **एम. जी.** (1995). ***सोशियो-साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजिंग.*** **रिलायंस पब्लिशिंग हाउस.**